न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—56 / 2022 (2022 / 128) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. उदयराम पिता हजारी गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कस्तुर पिता हजारी गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. किशनलाल पिता उदयराम गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. देवीलाल पिता उदयराम गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामा पिता हरा गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लक्ष्मण पिता हरा गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. तेजसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुमेरसिंह पिता जसवंतसिंह राजपूत निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर
3. किशनसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी बाड़ियाकलां तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रणजीतसिंह पिता समन्दरसिंह राजपूत निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर
5. बहादुरसिंह पिता उम्मेदसिंह राजूपत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर
6. लाल पिता रामा गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. चूना पिता भैरा गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भंवरी पिता मांगु गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 14.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम बाड़ियाकलां पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 177 में अकिंत आराजी संख्या 1281 रकबा 1.31 है0, आराजी संख्या 1282 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1283 रकबा 0.17 है0 कुल रकबा 1.62 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने के दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण की उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:23:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने दिनांक 28.02.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का ओदश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 18.04.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 स्वयं उपस्थित होकर कोई आपत्ति जाहिर नही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बाड़ियाकलां पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 177 में अकिंत आराजी संख्या 1281 रकबा 1.31 है0, आराजी संख्या 1282 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1283 रकबा 0.17 है0 कुल रकबा 1.62 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200 /–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500 /–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

14/5/22

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:23:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–56/2022 (2022/128) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. उदयराम पिता हजारी गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कस्तुर पिता हजारी गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. किशनलाल पिता उदयराम गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. देवीलाल पिता उदयराम गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामा पिता हरा गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लक्ष्मण पिता हरा गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. तेजसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुमेरसिंह पिता जसवंतसिंह राजपूत निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर
3. किशनसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी बाड़ियाकलां तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रणजीतसिंह पिता समन्दरसिंह राजपूत निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर
5. बहादुरसिंह पिता उम्मेदसिंह राजूपत निवासी बाड़ियाकला तहसील रायपुर
6. लाल पिता रामा गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. चूना पिता भैरा गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भंवरी पिता मांगु गाडरी निवासी बाड़ियाकलां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 14.05.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम बाड़ियाकलां पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 177 में अकिंत आराजी संख्या 1281 रकबा 1.31 है0, आराजी संख्या 1282 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 1283 रकबा 0.17 है0 कुल रकबा 1.62 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/–रूपये सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल [illegible] नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के पेश करें।

हुक्मनामा आज दिनांक [illegible] को [illegible] हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:23:09 IST
Reason: SelfAttested

14/5/22

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाडा